विधान परिषद के तृतीय सत्र 2023 के प्रथम मंगलवार के लिये निर्धारित श्री अशोक अग्रवाल,मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित

<u>प्रश्न संख्या-7 का उत्तर</u>

प्रश्न	उत्तर
7(क) क्या खेल मंत्री बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खेलों को प्रोत्साहन दिये जाने हेतु ग्राम सभाओं पर मिनी स्टेडियम बनाये जाने हेतु आवंटित जमीनों पर प्रदेश में खेल संस्कृति के प्रभावी विकास हेतु प्रत्येक राजस्व ग्राम में शासनादेश संख्या-I/ 2020/ 1747/ एक-1-2019-रा0-1, दिनांक- 15 जनवरी,2020 द्वारा प्रत्येक ग्राम में अनिवार्य रूप से 01 हेक्टेयर भूमि चिन्हित कर उस पर खेल के मैदान विकसित किये जाने के समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गये थे ?	जी हॉ ।
(ख) यदि हॉ, तो क्या जनपद- हरदोई के विकास खण्ड- माधौगंज, के राजस्व ग्राम सभा- समुखा में वर्ष- 2006 से ग्रामीण मिनी स्टेडियम /खेल के मैदान हेतु युवा कल्याण विभाग को ग्राम सभा द्वारा 08 बीघा भूमि आवंटित की गयी थी ?	जी हॉ ।
(ग) यदि हाँ , तो उक्त भूमि पर उपरोक्त शासनादेश के क्रम में मिनी स्टेडियम /खेल के मैदान के रूप में विकसित करायेंगे ?	ग्रामीण मिनी स्टेडियम एवं ओपेन जिम के निर्माण योजना, संचालन, प्रबन्धन एवं अनुरक्षण हेतु निर्गत नीति सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 14 मार्च, 2023 के प्रावधानानुसार प्रथम चरण में प्रदेश के उन 20 जनपदों में प्राथमिकता के आधार पर ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपेन जिम का निर्माण किया जाना है, जहॉ पर पूर्व से एक भी विभागीय स्टेडियम निर्मित नहीं है। जनपद-हरदोई में पूर्व से 04 ग्रामीण स्टेडियम निर्मित एवं 02 निर्माणाधीन है।
(घ) यदि हां, तो कब तक ?	उपरोक्तानुसार ।
(ड़) यदि नहीं, तो क्यों ?	उपरोक्तानुसार ।

गिरीश चन्द्र यादव
राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार)
युवा कल्याण विभाग